

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 पिथौरागढ़।													अनुरोध के आधार पर						
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(ख) (चार) में उल्लिखित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्पों का विवरण-																			
प्र0अ0 उच्च प्राथमिक																			
क्र0सं0	कार्मिक का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय / विकास खण्ड	प्रथम नियुक्ति तिथि	राजकीय सेवा में कुल सेवा अवधि (दिनांक 31-05-2026 तक)	वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि	वर्तमान विद्यालय में ठहराव की कुल अवधि	विभाग का नाम (जिसमें पति अथवा पत्नी कार्यरत है (सेवारत रहने का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	स्थानान्तरण हेतु विकल्पित विद्यालय (विकासखण्ड)										अन्य विवरण
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
शून्य आवेदन पत्र																			